भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा–I

प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली–110015, फोन: 25419177, 25412977 ई–मेल: sbi.05169@sbi.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) एवं 9(1) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित **चल/अचल** सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक/गिरवी/प्रभारित है, का कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत – दाता (भारतीय स्टेट बैंक) से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांकों को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

क्र. सं.	कर्जदार(बी)/गारंटर(रों)(जी) का नाम एवं पता	नीलामी के अधीन आवृत्त प्रभारित प्रतिभूति का पता (सम्पत्ति का भौतिक/सांकेतिक कब्जा)	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) वृद्धि राशि	बकाया राशियां जिसकी वसूली हेतु सम्पत्ति बेची जा रही है	संपर्क हेतु व्यक्ति का नाम और नं.	ई–नीलामी की तिथि प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ	सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय:
1	**श्री परवीन कुमार जैन पुत्र श्री सुरेश चंद जैन (प्रोपराइटर) मैसर्स नितेश ट्रेडर्स,** 24/161, पुरियान मोहल्ला, फूंस वाली मस्जिद के पीछे, बड़ौत, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश – 250611 **सुश्री रेनू जैन पत्नी श्री परवीन कुमार जैन** 18/181, पिरोयान मोहल्ला, फूंस वाली मस्जिद के पीछे, बड़ौत, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश – 250611 **सुश्री रेनू जैन पत्नी श्री परवीन कुमार जैन** दुकान (भूतल), मकान संख्या 18/274, मोहल्ला पुरियान, पट्टी बरू, बड़ौत, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश **श्रीमती रेनू जैन पत्नी श्री परवीन कुमार जैन** 24/161, पुरियान मोहल्ला, फूंस वाली मस्जिद के पीछे, बड़ौत, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश – 250611	**वाणिज्यिक संपत्ति, जिसका कुल क्षेत्रफल 33.20 वर्ग मीटर है, जो नगर निगम संख्या 18/274, ग्राउंड फ्लोर, मोहल्ला पुरियां के पास, फूस वाली मस्जिद के पीछे, बड़ौत, बागपत–उत्तर प्रदेश– 250611 में स्थित है।** **(भौतिक कब्जे के तहत)**	₹ 48.00 लाख ₹ 4.80 लाख ₹ 50000.00	₹ 81,97,390/– (केवल इक्यासी लाख सत्तानवे हजार तीन सौ नब्बे रुपये) **22.12.2025** तक, उक्त राशि पर अनुबंध में तय दरों के अनुसार भविष्य के ब्याज, तथा सभी प्रासंगिक खर्चों, लागत शुल्कों आदि के साथ।	श्री मननमोहन चौहला मो. 7055553155 श्रीमती सीमा सत्संगी, मो. 9811380432	**14.12.2026** पूर्वा 11.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक	**07.12.2026** दोपहर 02.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक

ई–नीलामी हेतु नियम व शर्तें:–

1. ई–नीलामी "जैसा है जहाँ है" तथा "जैसा है जो भी है" के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी। यह नीलामी वेबपोर्टल **https://baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जायेगी। ऑनलाईन नीलामी बिक्री के अन्तर्गत ई–नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणापत्र, समान्य नियम व शर्तें आदि निविदा दस्तावेज ई–नीलामी प्लेटफार्म **https://baanknet.com** पर उपलब्ध है
2. अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्ति(यों) पर कोई प्रभार नही है। तथापि इच्छुक बोलीदाता(ओं) को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति(यों) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(यों) को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता/वचनबद्धता निर्मित नही करता है और न ही कोई वचनबद्धता/प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा। सम्पत्ति(यों) की बिक्री बैंक को ज्ञात या अज्ञात वर्तमान विद्यमान एवं भावी प्रभारो/ऋणभारो के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
3. इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी बंद होने से पूर्व **M/S PSB ALLIANCE (BAANKNET)** के पास प्री–बिड ईएमडी जमा कर सकते हैं। **M/S PSB ALLIANCE (BAANKNET)** के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई–नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री–बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें।
4. यह ई–नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अनुसार की जायेगी।
5. सभी वैधानिक/गैर–वैधानिक देयों, करों, दरों, आकलनों, शुल्कों, लंबित विद्युत देयों, फीस आदि का भुगतान, जो किसी भी व्यक्ति/प्राधिकरण को देय हों, केवल सफल बोलीदाता की ही पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
6. ई–नीलामी के अन्य नियम व शर्तें निम्नलिखित वेबसाईटों **https://baanknet.com** पर प्रकाशित की गई है।

ध्यान दें: उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को 15/30 दिनों की बिक्री नोटिस पूर्व ही पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दी गई है।
यदि ऐसी पार्टी/पार्टियों को यह नहीं मिला है, तो इस नोटिस को इन सभी पक्षों के लिए सेवा का वैकल्पिक तरीका माना जा सकता है।

दिनांक **04-11-2026**, स्थान : बड़ौत — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

कार्यालय वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण–I, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

RC/521/2025 — बिक्री उद्घोषणा सूचना — **RC/523/2025**

पंजाब नेशनल बैंक बनाम वरूण भाटिया
पंजाब नेशनल बैंक बनाम गौरव भाटिया

बैंक और वित्तीय संस्थान बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत बिक्री की घोषणा

(सीडी1) गौरव भाटिया पुत्र आर. पी. भाटिया, एकमात्र प्रोप्राइटर मैसर्स गौरव इंटरनेशनल, दुकान नंबर 489, दूसरी मंजिल, संपत्ति नंबर 694/449 का हिस्सा, कटरा ईश्वर भवन, खारी बावली, दिल्ली–110006 **इसके अलावा,** दुकान नंबर 474, संपत्ति नंबर 694/449 का हिस्सा, कटरा ईश्वर भवन, खारी बावली, दिल्ली–110006 **इसके अलावा,** 1727, नई बाजार, खारी बावली (लहौरी गेट के पास), दिल्ली–110006 इसके अलावा, BFH –55, शालीमार बाग, दिल्ली–110088

(सीडी2) राम भाटिया पुत्र जेस्सा राम भाटिया (अब मृत) उनके कानूनी वारिसों (LRs) के माध्यम से:
1. उमा भाटिया 2. वरुण भाटिया 3. लोवनिश भाटिया 4. गौरव भाटिया
सभी निवासी: BT–14, शालीमार बाग, दिल्ली–110088

(सीडी3) सुभाष भाटिया पुत्र जेस्सा राम भाटिया, दुकान नंबर 474, संपत्ति नंबर 694/449 का हिस्सा, कटरा ईश्वर भवन, खारी बावली, दिल्ली–110006 **इसके अलावा,** BT–14, शालीमार बाग, दिल्ली–110088

(सीडी4) श्रीमती उमा भाटिया पत्नी श्री राम भाटिया, BT–14, शालीमार बाग, दिल्ली–110088

(सीडी5) वरुण भाटिया पुत्र श्री आर. पी. भाटिया, दुकान नंबर 474, संपत्ति नंबर 694/449 का हिस्सा, कटरा ईश्वर भवन, खारी बावली, दिल्ली–110006 **इसके अलावा,** BFH –55, शालीमार बाग, दिल्ली–110088

उल्लिखित संपत्ति को दिनांक **10.12.2026** को सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा बेचा जाएगा, ताकि **वरूण भाटिया एवं गौरव भाटिया** से वसूली प्रमाण–पत्र के अनुसार माननीय पीठासीन अधिकारी, डीआरटी–I द्वारा निर्धारित देय राशि **रु. 5,62,36,645.00 (रुपये पाँच करोड़ बासठ लाख छियालीस हजार छ सौ पैंतालीस मात्र) और रू. 5575162.00 (पचपन लाख पचहत्तर हजार एक सौ बासठ मात्र)** तथा उस पर देय ब्याज एवं लागत (यदि कोई राशि पूर्व में वसूल की जा चुकी हो तो उसे घटाकर) की वसूली की जा सके।

संपत्ति का विवरण

लॉट की संख्या	बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण, जिसमें सह–स्वामियों के नाम भी शामिल हों–विशेषकर तब, जब संपत्ति किसी डिफॉल्टर और किसी अन्य व्यक्ति की संयुक्त स्वामित्व में हो	संपत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	किसी अन्य ऋणभार का विवरण, जिसके अधीन संपत्ति है	मूल्यांकन मे, यदि कोई हो, तो प्रमाणपत्र कर्जदार द्वारा दिया गया मूल्यांकन भी बताया जाएगा	संपत्ति के संबंध में, यदि कोई दावे प्रस्तुत किए गए है, और इसकी प्रकृति तथा मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण	आरक्षित मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति नही बेची जाएगी	आरक्षित मूल्य का 10% या राउण्ड ऑफ ईएमडी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	संपत्ति जो कि 207 वर्ग गज भूमि पर बने निर्मित भवन की पहली मंजिल का पश्चिमी हिस्सा है, जिसमें छत के अधिकार शामिल हैं, भूखंड संख्या 14, ब्लॉक – बीटी, शालीमार बाग, दिल्ली – 110088 स्थित है।	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	रू. 3.85 करोड़	रू. 38.50 लाख

1. नीलामी/बोली केवल ई–नीलामी वेबसाइट अर्थात https://baanknet.com के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली के माध्यम से होगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को ई–नीलामी में भाग लेने के लिए सेवा प्रदाता के साथ पहले से ही पंजीकरण कराना चाहिए और यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। यह केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अपेक्षित धरोहर राशि निर्धारित मोड में जमा की जाती है।
3. **ईएमडी 08.12.2026 को शाम 05:00 बजे तक वॉलेट/बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क (BAANKNET)** https://baanknet.com पर जमा की जाएगी। उसके बाद जमा की गई ईएमडी को ई–नीलामी में भाग लेने हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, कंपनी के मामले में पैन कार्ड की प्रति, पता प्रमाण एवं पहचान प्रमाण, ई–मेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित बोर्ड प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी के प्रतिनिधित्व/अटॉर्नी की पुष्टि करने वाले किसी अन्य दस्तावेज की प्रति तथा ईएमडी जमा राशि की रसीद/काउंटर फाइल **08.12.2026** को शाम 05:00 बजे तक स्कैन कर ई–नीलामी वेबसाइट के माध्यम से सेवा प्रदाता के पास पहुँच जानी चाहिए। ईएमडी जमा रसीदों की हार्ड कॉपी भी **वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–I, दिल्ली के कार्यालय में 08.12.2026** तक पहुँच जानी चाहिए। यही भी माना जाता है कि असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि भुगतान के उसी तरीके के माध्यम से ऐसे बोलीदाताओं के संबंधित खातों में वापस कर दी जाएगी।
5. संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।

नीलामी एजेंसी का नाम	बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क (BAANKNET)
संपर्क व्यक्ति	श्री उदय जाधव (बैंकनेट के प्राधिकृत अधिकारी)
हेल्पलाइन नं	+91-9820878255
हेल्पलाइन ई–मेल पता	Support.BAANKNET@psballiance.com
बैंक अधिकारी	ललित कुमार गुप्ता (मुख्य प्रबंधक) 7579083303

6. संबंधित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने से पहले बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें तथा प्रक्रिया के लिए वेबसाइट https://baanknet.com पर जाएं।
7. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
8. संपत्ति उपरोक्त लॉट में उल्लिखित आरक्षित मूल्य के साथ एक (01) लॉट में बेची जाएगी।
9. बोलीदाताओं को संपूर्ण नीलामी अवधि के दौरान रू.1,00,000/– के गुणकों में ऑफर बढ़ा सकेंगे।
10. संपत्ति **"जहां है जैसी है"** के आधार पर बेची जाएगी और ई–नीलामी एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन होगी।
11. उच्चतम बालीदाता को अपनी अंतिम बोली राशि का 25% वॉलेट बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क (BAANKNET) https://baanknet.com में पहले से भुगतान की गई ईएमडी के समायोजन के बाद तत्काल अगले बैंक कार्य दिवस शाम 4:00 बजे तक वसूली अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली खाता आर.सी. क्रमांक **521/2025** एवं आर.सी. क्रमांक **523/2025** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा।
12. **सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले बिक्री प्रतिफल राशि का शेष 75% जमा करना होगा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है, तो तत्काल पहले बैंक कार्य दिवस पर वसूली अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली, खाता आर.सी. क्रमांक 521/2025 एवं आर.सी. क्रमांक 523/2025 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा। उपरोक्त के अलावा, क्रेता को रजिस्ट्रार, डीआरटी–I, दिल्ली के पक्ष में बिक्री प्रतिफल राशि पर 1% पाउंडेज शुल्क (प्लस रु. 10) भी जमा करना होगा। पाउंडेज शुल्क के लिए तैयार किया गया डीडी वसूली अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली के कार्यालय में जमा किया जाएगा।**
13. यदि निर्धारित समय–सीमा के भीतर भुगतान नही किया जाता है, तो जमा की गई राशि (बिक्री के खर्चों को काटने के बाद) को, यदि अधिकृत अधिकारी उचित समझें, सरकारी खाते में जब्त किया जा सकता है तथा भुगतान में चूक करने वाला क्रेता उस संपत्ति या जमा की गई राशि पर अपने सभी दावों से वंचित हो जाएगा। बिक्री की नई घोषणा जारी करने के तुरंत बाद उस संपत्ति को पुनः बेच दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, खरीदार उस राशि की भरपाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो उसकी अंतिम बोली की राशि और बाद में जिस कीमत पर संपत्ति बेची गई है, उसके बीच के अंतर या कमी के रूप में सामने आती है।
14. **नीलामी का कार्यक्रम इस प्रकार है :–**

सभी माध्यम से नोटिस की सर्विस	**08.11.2026**	
सम्पत्ति का निरिक्षण	**23.11.2026**	दोपहर 1:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक
जमा धरोहर राशि के प्रमाण और नीलामी एजेंसी पोर्टल के दस्तावेज अपलोड करने के साथ भौतिक बोलियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि	**08.12.2026**	05:00 बजे अप. तक
ई–नीलामी की तिथि एवं समय	**10.12.2026**	12:00 बजे दोपहर से 1:00 बजे अप.

15. वसूली अधिकारी के पास किसी भी बोली या बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, अथवा बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी को स्थगित या रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
इस अधिकरण की मुहर के साथ, मेरे हस्ताक्षर के अधीन, दिनांक **08.10.2026** को जारी किया गया।

हस्ता/–
निरंजन शर्मा,
वसूली अधिकारी–II,
ऋण वसूली अधिकरण–I, दिल्ली

कार्यालय वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण–I, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

TRC/3220/2022 — बिक्री उद्घोषणा सूचना

पंजाब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स केटीएमआर मेटल्स एंड एएनआर

बैंक और वित्तीय संस्थान बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत बिक्री की घोषणा

(सीडी1) मैसर्स के.टी.एम.आर. मेटल्स, B – 108, डेरावाल नगर, दिल्ली
(सीडी2) सुभाष मगन पुत्र श्री बिशंबर लाल मगन, B – 108, डेरावाल नगर, दिल्ली
(सीडी3) नवल मगन पुत्र श्री बिशंबर लाल मगन, B – 108, डेरावाल नगर, दिल्ली

उल्लिखित संपत्ति को दिनांक **16.12.2026** को सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा बेचा जाएगा, ताकि **मैसर्स केटीएमआर मेटल्स** से वसूली प्रमाण–पत्र के अनुसार माननीय पीठासीन अधिकारी, **डीआरटी–III** द्वारा निर्धारित देय राशि **रू. 2,80,76,924.00 (दो करोड़ अस्सी लाख छिहत्तर हजार नौ सौ चौबीस रुपये मात्र)** तथा उस पर देय ब्याज एवं लागत (यदि कोई राशि पूर्व में वसूल की जा चुकी हो तो उसे घटाकर) की वसूली की जा सके।

संपत्ति का विवरण

लॉट की संख्या	बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण, जिसमें सह–स्वामियों के नाम भी शामिल हों–विशेषकर तब, जब संपत्ति किसी डिफॉल्टर और किसी अन्य व्यक्ति की संयुक्त स्वामित्व में हो	संपत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	किसी अन्य ऋणभार का विवरण, जिसके अधीन संपत्ति है	मूल्यांकन मे, यदि कोई हो, तो प्रमाणपत्र कर्जदार द्वारा दिया गया मूल्यांकन भी बताया जाएगा	संपत्ति के संबंध में, यदि कोई दावे प्रस्तुत किए गए है, और इसकी प्रकृति तथा मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण	आरक्षित मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति नही बेची जाएगी	आरक्षित मूल्य का 10% या राउण्ड ऑफ ईएमडी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	संपत्ति यानी शेड 1–सी, इंडस्ट्रियल एस्टेट, कठुआ, जम्मू, राज्य जम्मू और कश्मीर	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	रू. 28,64,000.00	रू. 2,86,400.00

1. नीलामी/बोली केवल ई–नीलामी वेबसाइट अर्थात https://baanknet.com के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली के माध्यम से होगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को ई–नीलामी में भाग लेने के लिए सेवा प्रदाता के साथ पहले से ही पंजीकरण कराना चाहिए और यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। यह केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अपेक्षित धरोहर राशि निर्धारित मोड में जमा की जाती है।
3. **ईएमडी 14.12.2026 को शाम 05:00 बजे तक वॉलेट/बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क (BAANKNET)** https://baanknet.com पर जमा की जाएगी। उसके बाद जमा की गई ईएमडी को ई–नीलामी में भाग लेने हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, पैन कार्ड, पते का प्रमाण और पहचान का प्रमाण, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर की प्रति, तथा कंपनी के मामले में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित बोर्ड प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी के प्रतिनिधित्व/अटॉर्नी की पुष्टि करने वाले किसी अन्य दस्तावेज की प्रति तथा ईएमडी जमा राशि की रसीद/काउंटर फाइल **14.12.2026** को शाम 05:00 बजे तक स्कैन कर ई–नीलामी वेबसाइट के माध्यम से सेवा प्रदाता के पास पहुँच जानी चाहिए। ईएमडी जमा रसीदों की हार्ड कॉपी भी **वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–I, दिल्ली के कार्यालय में 14.12.2026** तक पहुँच जानी चाहिए। यही भी माना जाता है कि असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि भुगतान के उसी तरीके के माध्यम से ऐसे बोलीदाताओं के संबंधित खातों में वापस कर दी जाएगी।
5. संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।

नीलामी एजेंसी का नाम	बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क (BAANKNET)
संपर्क व्यक्ति	श्री उदय जाधव (बैंकनेट के प्राधिकृत अधिकारी)
हेल्पलाइन नं	+91-9820878255, 8291220220
हेल्पलाइन ई–मेल पता	Support.BAANKNET@psballiance.com
बैंक अधिकारी	ललित कुमार गुप्ता (मुख्य प्रबंधक) 7579083303

6. संबंधित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने से पहले बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें तथा प्रक्रिया के लिए वेबसाइट https://baanknet.com पर जाएं।
7. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
8. संपत्ति उपरोक्त लॉट में उल्लिखित आरक्षित मूल्य के साथ एक (01) लॉट में बेची जाएगी।
9. बोलीदाताओं को संपूर्ण नीलामी अवधि के दौरान रू.20,000/– के गुणकों में ऑफर बढ़ा सकेंगे।
10. संपत्ति **"जहां है जैसी है"** के आधार पर बेची जाएगी और ई–नीलामी एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन होगी।
11. उच्चतम बालीदाता को अपनी अंतिम बोली राशि का 25% वॉलेट बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क (BAANKNET) https://baanknet.com में पहले से भुगतान की गई ईएमडी के समायोजन के बाद तत्काल अगले बैंक कार्य दिवस शाम 4:00 बजे तक वसूली अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली खाता टी.आर.सी. क्रमांक **3220/2022** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा।
12. **सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले बिक्री प्रतिफल राशि का शेष 75% जमा करना होगा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है, तो तत्काल पहले बैंक कार्य दिवस पर वसूली अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली, खाता टी.आर.सी. क्रमांक 3220/2022 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा। उपरोक्त के अलावा, क्रेता को रजिस्ट्रार, डीआरटी–I, दिल्ली के पक्ष में बिक्री प्रतिफल राशि पर 1% पाउंडेज शुल्क (प्लस रू. 10) भी जमा करना होगा। पाउंडेज शुल्क के लिए तैयार किया गया डीडी वसूली अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली के कार्यालय में जमा किया जाएगा।**
13. यदि निर्धारित समय–सीमा के भीतर भुगतान नही किया जाता है, तो जमा की गई राशि (बिक्री के खर्चों को काटने के बाद) को, यदि अधिकृत अधिकारी उचित समझें, सरकारी खाते में जब्त किया जा सकता है तथा भुगतान में चूक करने वाला क्रेता उस संपत्ति या जमा की गई राशि पर अपने सभी दावों से वंचित हो जाएगा। बिक्री की नई घोषणा जारी करने के तुरंत बाद उस संपत्ति को पुनः बेच दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, खरीदार उस राशि की भरपाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो उसकी अंतिम बोली की राशि और बाद में जिस कीमत पर संपत्ति बेची गई है, उसके बीच के अंतर या कमी के रूप में सामने आती है।
14. **नीलामी का कार्यक्रम इस प्रकार है :–**

सभी माध्यम से नोटिस की सर्विस	**14.11.2026**	
सम्पत्ति का निरिक्षण	**30.11.2026**	दोपहर 1:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक
जमा धरोहर राशि के प्रमाण और नीलामी एजेंसी पोर्टल के दस्तावेज अपलोड करने के साथ भौतिक बोलियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि	**14.12.2026**	05:00 बजे अप. तक
ई–नीलामी की तिथि एवं समय	**16.12.2026**	12:00 बजे दोपहर से 1:00 बजे अप.

15. वसूली अधिकारी के पास किसी भी बोली या बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, अथवा बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी को स्थगित या रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
इस अधिकरण की मुहर के साथ, मेरे हस्ताक्षर के अधीन, दिनांक **19.10.2026** को जारी किया गया।

हस्ता/–
रविंद्र कुमार तौमर
वसूली अधिकारी–I,
ऋण वसूली अधिकरण–I, दिल्ली

प्रपत्र नं. 14
[विनियम –33(2) देखें.]
वसूली अधिकारी कार्यालय–I/II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी–I)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

डिमांड नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

RC/127/2026 — **10-08-2026**

पंजाब नेशनल बैंक
बनाम
मैसर्स रूही साड़ी प्राइवेट लिमिटेड

सेवा में,
(सीडी1) मैसर्स जूही साड़ी प्राइवेट लिमिटेड, मकान संख्या 17, खसरा संख्या 83/17 एवं 18, फेज 1, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक–T-1, बुध विहार, वेस्ट दिल्ली – 110086 **इसके अलावा:** T-1/17, मेन मार्केट, बुध विहार, दिल्ली – 110086
(सीडी2) श्रीमती कविता शर्मा पत्नी दीपक शर्मा, निवासी: L-2/16, फेज–1, बुध विहार, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली – 110086
(सीडी3) श्री आशीष शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा, निवासी: E47, कालू कॉलोनी, बुध विहार, फेज–2, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली – 110086

यह सूचित किया जाता है कि **ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली (डीआरटी–1)** के माननीय पीठासीन अधिकारी द्वारा **OA/25/2023** में पारित आदेशों के अनुपालन में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, आपके विरुद्ध **₹ 50,96,038.88 (पचास लाख छियानवे हजार अड़तीस रुपये और अस्सी पैसे मात्र)** की राशि बकाया हो गई है, जिस पर दिनांक **31/10/2022** से वास्तविक वसूली होने तक **@ 12.10 %** दर से मासिक चक्रवृद्धि ब्याज, वाद के लंबित रहने की अवधि का ब्याज एवं भविष्य का ब्याज तथा **₹ 53000 (केवल तिरेपन हजार रुपये)** की लागत भी देय है। उक्त राशि एवं देय ब्याज तथा लागत का भुगतान आपके द्वारा संयुक्त एवं पृथक रूप से / पूर्ण रूप से / सीमित रूप से (जैसा लागू हो) किया जाना है।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।
3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।
4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक **25.11.2026 को प्रातः 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।
5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:
(क) इस तरह के ब्याज के रू में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।
(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 10.08.2026 को दिया गया।

हस्ता/–
निरंजन शर्मा
वसूली अधिकारी–II
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी–1)

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking

क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर, एएसजे ग्रैंड
प्लाजा मॉल, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर–251001

[नियम – 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लिखित तिथियों पर तथा इसके बाद बताए गए अनुसार, कर्जदार को उक्त सूचना की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि के पुनर्भुगतान करने हेतु माँग सूचना निर्गत की।

कर्जदार एवं जमानती द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण, कर्जदार एवं जमानती एवं जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने धारा 13(4) के साथ नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लिखित तिथियों को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रू